राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1651/2016.................................... जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स टिलावत सेल्स, 102, भवानी निकेतन कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, जयपुर 2. स.वा.क.अ., वृत–के, वार्ड–पंचम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
11/08/2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या एस–126/AA-1/Stay/16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–पंचम, वृत–के, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत दिनांक 19.02.2014 को पारित करते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी की कुल बिक्री रूपये 90,00,000/– अनुमानित करते हुए, कर, ब्याज व शास्ति के रूप में कुल मांग राशि रूपये 16,37,600/– सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि में से रूपये 15,74,600/– की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 8,20,000/– की राशि पर स्थगन स्वीकार किया गया तथा शेष राशि रूपये 7,54,600/– वसूलनीय अवधारित की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 7,54,600/– की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विक्रम गोगरा तथा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी। लगातार.............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1651 / 2016.................................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स टिलावत सेल्स, 102, भवानी निकेतन कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, जयपुर 2. स.वा.क.अ., वृत–के, वार्ड–पंचम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11 / 08 / 2016	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि **रूपये 7,54,600 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	